न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी0आर0– 2582/11

राज्य बनाम निशा देवी

27/09/2019 अभियुक्त निशा देवी उर्फ रूबी देवी, संजीता देवी उर्फ रेखा देवी, कोर्ट में उपस्थित है। उनकी हाजरी दाखिल है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की एक प्रति अभियोजन को दी गई।

जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है और वे आपराधिक कार्य नहीं किया है यह कि अभियुक्त ग्रामीण राजनीतिक के तहत फंसाया गया। यह कि अभियुक्त पैरवी हेतु पैरवीकार पर निर्भर रहता है, यह कि पैरवीकार के द्वारा पैरवी छोड़ देने के कारण अभियुक्त का बंध पत्र दिनांक– 27/11/2018 को खंडित हो गया। यह कि अभियुक्त पर लगाए गए धारा– 341, 323, 504/34 भा0द0वि0 हैं। यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। यह कि अभियुक्त उचित प्रति–भू का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाएं। अभियेाजन जमानत का विरोध करते हैं।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है यह कि अभियुक्त आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। यह कि अभियुक्त पर लगाए धारा– 341, 323, 504/34 भा0द0वि0 हैं। अतः तथ्य एवं परिस्थितयों को देखते हुए मो0 5000(पॉच हजार रूपए) के एक जामनत दारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी

तत्पश्चात्

27/09/2019 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त निशा देवी उर्फ रूबी देवी, संजीता देवी उर्फ रेखा देवी, से मांगे गए रकम का बधं पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी